न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 41/13
(जीसीएमएस संख्या 2013/00052)

निर्णय दिनांकः– 18-5-2022

1. कुम्भाराम (मृतक)
1/1. रामलाल
1/2. शंकरलाल
1/3. रामचन्द्र
1/4. भंवरी
1/5. शारदा
1/6. रमकू
1/7. चूकी
1/8. चम्पा

पुत्र/पुत्री कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी माडिया तहसील नोखा

2. हरिराम पुत्र सगराराम जाति मेघवाल निवासी माडिया तहसील नोखा
3. हीराराम (मृतक)
3/1. बाधुदेवी पत्नी हीराराम
3/2. मनीराम
3/3. रेखाराम
3/4. श्रवणराम
3/5. पारूदेवी
3/6. सम्मा
3/7. धन्नी पत्नी रेवन्तराम पुत्र हीराराम
3/8. पुखराज पुत्र रेवन्तराम
3/9. रामधन पुत्र रेवन्तराम
3/10. दुर्गाराम पुत्र रेवन्तराम
3/11. महेन्द्र पुत्र रेवन्तराम
3/12. खेतू पुत्री रेवन्तराम
3/13. रामा पुत्री रेवन्तराम

–अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–बनाम–

1. कृष्णचन्द पुत्र काशीराम बिश्नोई
2. विष्णु भगवान पुत्र काशरीराम बिश्नोई
3. मुन्नीदेवी पुत्री काशीराम बिश्नोई
4. सोफिन्द्र कुमार पुत्र राजेश्वरीदेवी पुत्री काशीराम बिश्नोई
5. सुमन पुत्री राजेश्वरीदेवी पुत्री काशीराम बिश्नोई

निवासीगण माडिया तसहील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासीगण मालापुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6. राजाराम
7. हनुमान | पुत्रगण हमीराराम जाति बिश्नोई
8. हंसराज
9. रामकुमार पुत्र धनराज जाति बिश्नोई
10. वेदवन्ती पत्नी अर्जुनराम जाति बिश्नोई
11. अशोक | पुत्रगण अर्जुनराम जाति बिश्नोई
12. अरूण

निवासीगण माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12–12–2011
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री ओमप्रकाश चाण्डक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–12–2011 के विरुद्ध पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा तौर पर का दावा डिक्री किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 107 तादादी 58 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 230 में 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 232 में 11.30 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 14.83 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज सगाराम पुत्र नाथा जाति मेघवाल के नाम से 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि व गणेशा पुत्र हुणता जाति बिश्नोई के नाम से 40 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर काश्तकार कब्जे काश्त में चली आ रही थी। जिस पर आज दिनांक तक उभय पक्षों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स का उक्त भूमि पर में से 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि अगूणा पासा तथा रेस्पोडेन्ट्स का 40 बीघा 10 बिस्वा आथूणे पासा का हिस्सा है। जिसकी धोषणा का दावा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से के अनुसार खातेदारी अधिकारो की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा मूल दावे के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 8 ता 10/अपीलांट्स के हिस्से को छोड़ते हुए रेस्पोडेन्ट्स के हक व हिस्से की भूमि तक का खातेदार धोषित किया गया है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत की गई व्याख्या है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में नत्थूखॉ पुत्र गुलाब खॉ के नाम से खुदकाबिज दर्ज था। विभाजन के समय नत्थूखॉ के पाकिस्तान चले जाने की स्थिति में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में भारत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सरकार के नाम दर्ज हो गई। जबकि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा निरन्तर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स का चला आ रहा है तथा अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि की निस्बत रकम 947.70 रसीद संख्या 26 बुक नम्बर 64293 के जरिये जमा करवा दी गई। इस प्रकार राशि जमा करवाने के उपरान्त अपीलांट्स की हैसियत वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार की हो गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को दावे में चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिक्री किया जाना चाहिए था। परन्तु अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलांट्स के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ता 12 को प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 अंकित कर दावा डिक्री कर दिया गया। जिससे अपीलांट्स का हक प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 में समाहित हो गये, जबकि प्रतिवादी के हक में अपीलांट्स का हिस्सा किसी भी तरह से समाहित नहीं हो सकता। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत की गई कार्यवाही है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश मय डिक्री पारित किया गया है। जोकि न्याय व वादपत्र में उल्लेखित अभिवचनों की मंशा के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स बिश्नोई जाति क सदस्य है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स के हक व हिस्स की भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति में नहीं हो सकता। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय के पैरा संख्या 1 में अपीलांट्स कुम्भाराम, हरीराम व हीराराम पुत्रगण सगराराम को खातेदार होने के हकदार से संबंधित अभिवचन किये गये है परन्तु निर्णय के पैरा संख्या 2 में अंकित किया गया ह कि प्रतिवादी संख्या 8,9 व 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई, जबकि इस संबंध में अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। जबकि वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि 58 बीघा 10

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिस्वा भूमि के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स जिसका वादग्रस्त भूमि में 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि का हक व हिस्सा निहित है तो बतौर प्रतिवादी स्थापित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण भूमि के बाबत् आदेश पारित करने के स्थान पर मात्र वादीगण के हक व हिस्से की 40 बीघा भूमि की हद तक ही जैर अपील पारित किया जाना व अपीलांट्स की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् कोई निर्णय नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से अपीलांट्स के अधिकारों का हनन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के उद्वेश्य मात्र से की गई है। जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को वादीगण के साथ–साथ अपीलांट्स को भी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही न्याय की परिभाषा मे नहीं होने से आदेश जैर अपील न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित होने के कारण शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलाट्स को उसके धारण की भूमि में से 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियांद के संबंध में कथन किया है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट्स को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उसके कब्जे काश्त की भूमि पर आये तथा कथन किया गया कि उक्त भूमि की खातेदारी ले ली है तथा तुम्हें कब्जे से बेदखल करने का कथन करने पर हुई। तब अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से तमाम दस्तावेजात् की नकल आदि प्राप्त करते हुए जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार कीजाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

17, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 668, आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1183, आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 1350, आरबीजे 1998 पेज 188, आरबीजे 1998 पेज 380, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 257, आरबीजे 1998 पेज 626, आरआरटी 2021 पार्ट I पेज 666 व आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 668 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा सर्वप्रथम पत्रावली पर मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 03–05–2013 को करीब एक वर्ष छः माह के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अभिलिखित किये गये है वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के संतोषजनक कारण नहीं है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर आये तथा अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने के कथन किये जाने पर उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट्स का यह कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कभी भी अपीलांट्स की भूमि पर कब्जे काश्त का प्रयास नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम अपने कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये है तथा अब अपीलांट्स विलम्ब से प्रस्तुत अपील का भार रेस्पोडेन्ट्स पर डालने का प्रयास कर रहे है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ विलम्ब से अपील प्रस्तुत की जा रही हो, ऐसी स्थिति में विलम्ब हेतु दिन–प्रतिदिन के कारण प्रस्तुत किये जाने अपरिहार्य है। अपीलांट्स द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व न्यायसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा डीएनजे 1996 पेज 738, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, एआईआर 2002 पेज 204 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 107 तादादी 58 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व में नत्थुखॉ वल्द गुलाबखॉ की खातेदारी भूमि थी। नत्थू खॉ पुत्र गुलाबखॉ के विभाजन के समय पाकिस्तान चले जाने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2002 अर्थात काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा गणेशा वल्द हणुता जाति बिश्नोई का 40 बीघा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पिता सगराराम पुत्र नाथा जाति मेघवाल का कब्जा काश्त रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व दादा गणेशाराम व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के पिता सगराराम द्वारा उक्त भूमि निस्क्रान्त भूमि की कीमत राशि 2110/– 35 पैसा गणेशा वल्द हणुता बिश्नोई द्वारा अपनी 40 बीघा भूमि व सगराराम पुत्र नाथा मेघवाल द्वारा अपनी 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि की निस्क्रान्त भूमि की कीमत राशि 974 रूपये 70 पैसा राशि दिनांक 27–09–1975 को जमा करवा दी गई जिसकी बुक नम्बर 6429 रसीद नम्बर 27 रूपया 2110/– 35 पैसा व रसीद संख्या 26 बुक नम्बर 64293 रूपया 974 70 पैसा जमा करवाने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को तलब किये जाने के उपरान्त भी वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम परिस्थितियों का खुलासा करते हुए अर्थात वादीगण द्वारा प्रस्तुत तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार मानते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उनके धारण की भूमि 40 बीघा भूमि की हद तक खातेदार कृषक धोषित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट्स के धारण की भूमि के संबंध में किसी प्रकार के कोई आदेश पारित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अपने अधिकारों की धोषणा हेतु पृथक से कार्यवाही करने में स्वतन्त्र है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 107 तादादी 58 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों की धोषणा को छोड़ते हुए रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के अधिकारों की धोषणा की गई है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायलय हाजा के समक्ष धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–12–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 03–05–2013 को प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया गया है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र व आदेशिकाओं का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 प्रतिस्थापित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रथम पेशी दिनांक 30–08–2010 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेशिका के अनुसरण में जारी समन की पुश्त का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर अभिलिखित किया गया है कि सायल घर पर हाजिर नहीं मिला व आबाद मकान पर चस्पा किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त नोटिस के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुके थे कि सायल घर पर हाजिर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को पुनः नोटिस जारी करने की कार्यवाही करते हुए तामील की सुनिश्चितता की जानी चाहिए थी। जहॉ तक आबाद मकान पर नोटिस चस्पांदगी का प्रश्न है, इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील प्रकिया की दरकिनार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के विधिक अधिकारों का हनन किया जाना व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित आदेश प्रथम दृष्टा साबित है। अपीलांट्स एक ग्रामीण परिवेश व अनुसूचित वर्ग के काश्तकार व्यक्ति है। जिनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे न्यायलय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। चूंकि प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण हेतु पर्याप्त तथ्य मौजूद है तथा न्याय की भी यह मंशा रही है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1998 पेज 626 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When there is merit in the case – Case should not be dismissed on the point of limitation.

मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः उपरोक्त विवेचन व नजीर के प्रकाश में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का श्मन करते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि वाके रोही माडिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 107 तादादी 58 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 230 में 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 232 में 11.30 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 14.83 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत इस आधार पर किया गया कि आराजी जैर पूर्व में नत्थु खॉ पुत्र गुलाब खॉ जाति मुसलमान की खातेदारी भूमि थी, विभाजन के समय नत्थुखॉ पुत्र गुलाब खॉ के पाकिस्तान चले जाने की स्थिति में वादग्रस्त भूमि जिला कलेक्टर, के आदेशानुसार इंतकाल संख्या 37 दिनांक 03–12–1960 के माध्यम से भारत सरकार के नाम से अंकित की गई तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27–06–2008 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि सिवायचक (पुर्नवास विभाग) के नाम दर्ज की गई। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सवंत् 2002 से कब्जा काश्त चले आने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा की मांग की गई। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किये गये कथनों के आधार पर अभिलिखित किया गया था कि आराजी जैर पर पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा गणेशा वल्द हणुता जाति बिश्नोई का 40 बीघा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पिता सगराराम पुत्र नाथा जाति मेघवाल का कब्जा काश्त रहा है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व दादा गणेशाराम व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के पिता सगराराम द्वारा उक्त भूमि निस्कान्त भूमि की कीमत राशि 2110/– 35 पैसा गणेशा वल्द हणुता बिश्नोई द्वारा अपनी 40 बीघा भूमि व सगराराम पुत्र नाथा मेघवाल द्वारा अपनी 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि की निस्कान्त भूमि की कीमत राशि 974 रूपये 70 पैसा राशि दिनांक 27–09–1975 को जमा करवा दी गई जिसकी बुक नम्बर 6429 रसीद नम्बर 27 रूपया 2110/– 35 पैसा व रसीद संख्या 26 बुक नम्बर 64293 रूपया 974/– 70 पैसा जमा करवाने के उपरान्त व उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी संवत् 2010–2011, 2012–2013 के आधार पर व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत एडवर्स पजेशन के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने पर खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित पाया है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से साबित होता है कि अदालत मातहत के समक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण के अधिकारों की घोषणा की मांग की गई थी। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 की तामील की सुनिश्चतता किये बिना व तामील प्रकिया की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के अधिकारों के संबंध बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी के हकदार मानने के बावजूद भी अपीलांट्स के अधिकारों की घोषणा नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से अपीलांट्स के विधिक अधिकारों के हनन की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश स्वयं की व्याख्या/टिप्पणी के विपरीत पारित किया गया आदेश प्रथम दृष्टया ही साबित होने से अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अदालत मातहत को चाहिए था कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों की उपस्थिति में उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके पर विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति की पहचान करने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील से पक्षकारों के हितों की सुरक्षा होने के बजाय प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ उत्पन्न की गई है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार नत्थु खॉ पुत्र गुलाब खॉ के विभाजन के समय पाकिस्तान चले जाने की स्थिति में वादग्रस्त भूमि जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 03–12–1960 के माध्यम से भारत सरकार के नाम दर्ज की गई व कालान्तर में राज्य सरकार के आदेश दिांक 27–06–2008 के माध्यम से सिवायचक (पुर्नवास विभाग) के नाम दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नोखा से यह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में राज्य हित की ठोस/प्रभावी पैरवी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राज्य हित को सुरक्षा व संरक्षणा प्रदान करें।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 12–12–2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/5/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर